संख्या- 1/918/92-2014-56आरईएस/2005

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2014

विषय:- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में सृजित अधीक्षण अभियन्ता के 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-553/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/अधी0अभि0/पद स्वी0/2013-14, दिनांक 10-2-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजस्व मण्डलों-बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़, मिर्जापुर, चित्रकूट एवं अलीगढ़ में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता (वेतनमान रू0-37400-67000, ग्रेड पे रू0- 8700) के 01-01 अस्थायी पद (अर्थात कुल 06 अस्थायी पदों) को सृजित किये जाने की स्वीकृति शासन के पत्र संख्या-2987/92-2013-56आरईएस/2005, दिनांक 16-12-2013 द्वारा, दिनांक 28-2-2014 तक के लिये प्रदान की गयी है। विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की स्थिति अर्थात कार्यों का आयतन पूर्ववत ही है। वर्णित स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु सृजित किये गये उक्त अस्थायी पदों को आगे भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य है।

3- अत: विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत अधीक्षण अभियन्ता (वेतनमान रू0-37400-67000, ग्रेड पे रू0- 8700) के उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-2987/92-2013-56आरईएस/2005, दिनांक 16-12-2013 में उल्लिखित शर्त के अधीन, दिनांक 28-2-2015 तक के लिये बढ़ाये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत अस्थायी पदों की निरन्तरता की क्रमागत स्वीकृति सम्बन्धी यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में प्राप्त प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत आवश्यकत एवं औचित्य के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 1/918(1)/92-2014, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- मुख्य अभियन्ता(पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in